संख्या-26/2023/001-2351563/12-2099/56/2022टीसी-1

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2023

विषय:-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एस0एफ0-2242-जी/प्रमा0बी0/2022-23, दिनांक 13 मार्च, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रूपये 2000.00 लाख के सापेक्ष हो रही बचत से रूपये 469.00 लाख अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म,103-बीज,04-प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद 27-सब्सिडी में धनराशि रूपये 469.00 लाख (रूपये चार करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यो में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,69,00,000 (रुपये चार करोड़ उनहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030400 प्रमाणित बीजों पर अनुदान **मानक मद** 27 सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-26/2023/001-2351563(1)/12-2099/56/2022टीसी-1, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20222023-2351563 12-2099 56 2022 TC-1

विषय:-वर्ष 2022-23 में प्रमाणित बीजों के वितरण पर अनुदान की योजना (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030500 (संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना)	27 (सब्सिडी)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	4,69,00,000 रुपये चार करोड़ उनहत्तर लाख मात्र	15,31,00,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030400 (प्रमाणित बीजों पर अनुदान)	27 (सब्सिडी)	55,00,00,000 रुपये पचपन करोड़ मात्र	4,69,00,000 रुपये चार करोड़ उनहत्तर लाख मात्र	59,69,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्यों के निर्धारण व खरीफ में योजना संचालन न होने के कारण बचत हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अपेक्षित धनराशि योजनान्तर्गत अवर्षण की स्थिति में तोरिया/राई/सरसो,चना,/मसूर के मिनीकिटो के नि:शुल्क वितरण की योजना स्वीकृत होने के कारण चालू वित्तीय वर्ष में व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है।

Scanned with OKEN Scanner

I/293124/2023

3- योजनान्तर्गत कुल रुपये 8300.00 लाख की आवश्यकता है। उक्त पुनर्विनियोग के प्रस्ताव के उपरान्त शेष धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अन्य योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग प्रस्ताव पृथक से प्रेषित किया जा रहा है।

4-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर.ई.सं०-बजट-I-60 दि० 23.3.2023

संख्या: आर ई-८ > -2022-23, दिनांक- मार्च, 2023

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रामप्रीत प्रसाद)
अनु सचिव

Signed by नीलेश कुमार सिंह
Date: 22-03-2023 17:20:55
Reason: Approved

(नीलेश कुमार सिंह)
(फूल चन्द्र यादव)
~~अनुसचिव~~
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग)

संख्या:2351563 12-2099 56 2022 TC-1 दिनांक- मार्च, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

17/3/2023
Gunjan Dubey
17-3-2023

आज्ञा से,

(रामप्रीत प्रसाद)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।